



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1251]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 15, 2007/आश्विन 23, 1929

No. 1251]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2007/ASVINA 23, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2007

का.आ. 1757(अ).— खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक विधेयक अर्थात् खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005 तैयार किया था, जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के रूप में अंतिम रूप से अधिनियमित किया गया था ;

और केंद्रीय सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि उक्त अधिनियम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, के स्थान पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित किया जाए ;

और उक्त आघानेयम का प्रशासन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आबंटित करने लिए, अधिसूचना संख्यांक का0आ0 1568(अ), तारीख 17 सितंबर, 2007 के अधीन कार्य का आबंटन (संशोधन) नियम, 2007 द्वारा कार्य का आबंटन नियम, 1961 को, संशोधित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 6, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए एक चयन समिति के गठन का उपबंध करती है, जिसमें उक्त अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय या विभाग का भारसाधक सचिव, स्वास्थ्य, विधायी और कार्मिक से संबद्ध मंत्रालय या विभागों के भार साधक सचिव के अतिरिक्त संयोजक-सदस्य होता है ;

और कार्य का आबंटन नियम, 1961 के हाल ही के संशोधन ने ऐसी स्थिति पैदा की है, जिसके अधीन सचिव, स्वास्थ्य विभाग सदस्य के साथ ही संयोजक सदस्य के प्रवर्ग के अधीन आ जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाई होगी ;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) में उपांतरण के साथ चयन समिति का गठन करने में आने वाली इस कठिनाई को दूर करना आवश्यक समझती है जिससे कि उक्त अधिनियम के प्रशासन के आबंटन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के बीच असंगतता को दूर करते हुए, 'स्वास्थ्य' शब्द के स्थान पर 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग' शब्दों को प्रस्थापित किया जा सके।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 101 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. साक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) में "स्वास्थ्य" शब्द के स्थान पर "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग" शब्द रखे जाएंगे।

[पी. 15025/4/2007-पीएच (खाद्य)/डीएफक्यूसी]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

ORDER

New Delhi, the 15th October, 2007

S.O. 1757(E).— WHEREAS the Ministry of Food Processing Industries piloted a Bill, namely, the Food Safety and Standards Bill, 2005 which was finally enacted as the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) (hereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS the Central Government has decided that the said Act be administered by the Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health and Family Welfare instead of the Ministry of Food Processing Industries;

AND WHEREAS the Allocation of Business Rules, 1961 has been amended to allocate the administration of the said Act to the Ministry of Health and Family Welfare by the Allocation of Business (Amendment) Rules, 2007, vide notification number SO 1568(E) dated 17th September, 2007.

AND WHEREAS section 6 of the said Act provides for constitution of a Selection Committee for selection of Chairperson and Members of the Food

Authority wherein Secretary-in-charge of the Ministry or the Department responsible for administration of the said Act constitutes the convener-Member in addition to the Secretary-in-charge of the Ministries or the Departments dealing with Health, Legislative and Personnel;

AND WHEREAS the recent amendment of the Allocation of Business Rules, 1961 has given rise to a situation whereunder Secretary, Department of Health would fall under the category of a Member as well as the convener-Member resulting in a difficulty in giving effect the provisions contained in section 6 of the said Act;

AND WHEREAS the Central Government considers it necessary to remove this difficulty in constituting the Selection Committee with a modification in clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the said Act so as to substitute the word 'Health' with the "Food Processing Industries", thereby removing the inconsistency within the provisions contained in clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 6 arising due to change in the allocation of administration of the said Act.

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 101 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), hereby makes the following Order to remove the difficulty namely :-

1. Short title and commencement – (1) This Order may be called the Food Safety and Standard (Removal of Difficulties) Order, 2007.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In section 6 of the Food Safety and Standards Act, 2006, in sub-section (1), in clause (c), for the word 'Health', the words "Food Processing Industries" shall be substituted.

[P.15025/4/2007-PH(Food)/DFQC]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.